



बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)
अल्पकालीन निविदा

केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार के अनुदेशानुसार राज्य के निम्नांकित 10 (दस) चिन्हित निबंधन प्राधिकारों/ एवं उनके क्षेत्रीय निबंधन कार्यालयों द्वारा विभिन्न निबंधन अधिनियमों के तहत 31.03.12 तक राज्य में निबंधित प्रतिष्ठानों की जिलावार सूची अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा तैयार की जानी है:


- कम्पनी रजिस्ट्रार, विहार
- मुख्य कारखाना निरीक्षक, विहार, पटना
- निबंधन महानिरीक्षक, विहार, पटना
- निबंधक सहयोग समितियाँ, विहार, पटना
- श्रमायुक्त, विहार, पटना
- खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, विहार, पटना
- उद्योग निदेशक, विहार, पटना
- बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद, पटना
- सुन्नी वक्फ बोर्ड, पटना
- शिया वक्फ बोर्ड, पटना

2. इस सूची को तैयार करने के निमित्त विहित प्रपत्र निम्नवत है।

S. No.	Name of the establishment/owner of establishment(if no establishment name)	Address						Registration number
		House Number	Lane/Street/ Name	Locality	Town/Village	District	Pin code	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

- निबंधित प्रतिष्ठानों जिनकी अनुमानित संख्या लगभग 3.50 लाख है। यह एक अनुमानित संख्या है जिसमें वृद्धि/ कमी संभव है।
- इन प्रतिष्ठानों की जिलावार समेकित सूची की सॉफ्ट एवं हार्ड प्रतियाँ दोनों तैयार की जानी हैं। सॉफ्ट प्रति Excel format में होना आवश्यक है। राज्य स्तर पर समेकित जिलावार सूची की सॉफ्ट प्रति एवं कम से कम पाँच हार्ड प्रतियाँ निदेशालय को उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
- उक्त सूची तैयार करने के निमित्त वांछित सूचनाएँ इच्छुक निविदादाता द्वारा विभिन्न निबंधन प्राधिकारों से सम्पर्क कर प्राप्त की जाएगी। निदेशालय इस कार्य में आवश्यक सहयोग एवं तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करेगा।
- निबंधन प्राधिकारों के क्षेत्रीय कार्यालयों तक आने जाने एवं अन्य खर्च निविदादाता को स्वयं वहन करना होगा।

7. इस कार्य के लिए दर निर्धारण एवं एजेंसी के चयन हेतु मान्यता प्राप्त संस्थानों से निबंधित निविदादाताओं से मुहरबंद निविदा दिनांक 27.02.2013 के संध्या 5.00 बजे तक आमंत्रित किए जाते हैं। निविदा के साथ मान्यता प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न किया जाना आवश्यक है।
8. निविदा संयुक्त निदेशक -सह- कार्यालय प्रधान, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, बैरक न0- 17, पुराना सचिवालय परिषर, पटना-15 के पते पर प्राप्त किया जाएगा।
9. प्राप्त निविदाओं को निविदादाताओं की उपस्थिति में दिनांक 28.02.2013 को 4.00 बजे अपराह्न में संयुक्त निदेशक -सह- कार्यालय प्रधान, बिहार, पटना द्वारा खोला जाएगा। इसके पूर्व इच्छुक निविदादाताओं के साथ दिनांक 25.02.2013 को प्राक्-निविदा बैठक भी अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में 12.30 बजे अपराह्न में आयोजित की जाएगी जिसमें निविदादाता निविदा के मामले में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
10. निविदादाता को सुरक्षित राशि के रूप में मो० 25,000=00 (पच्चीस हजार) रुपये का बैंक ड्राफ्ट उप निदेशक (आहरण एवं व्ययन), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना के नाम से जमा करना अनिवार्य होगा।
11. चयनित एजेंसी को दिनांक 15.03.2013 तक कर्णांकित कार्य हर हाल में पूरा करने की अनिवार्यता होगी।
12. निविदा से संबंधित सूचना निदेशालय के वेबसाइट <http://www.dse.bih.nic.in> पर देखी जा सकती है।
13. विस्तृत जानकारी हेतु संयुक्त निदेशक-सह-कार्यालय प्रधान, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के दूरभाष संख्या-0612-2215035 एवं मोबाईल नं०-9801704436 पर कार्यालय अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है।
14. त्रुटिपूर्ण निविदा को रद्द करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा। इसके अतिरिक्त निविदा को किसी भी समय बिना कारण बताए रद्द करने का अधिकार भी अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
15. न्यायालयवाद के मामले, यदि कोई उत्पन्न हो, को पटना स्थित न्यायालय में ही निपटारा किया जाएगा।


प्रधान सचिव
योजना एवं विकास विभाग
बिहार, पटना।